संख्या : 745 / मा0सं0वि0 / 2002–03

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)

मानव संसाधन विकास विभाग

देहरादून: दिनांक 01 अगस्त, 2002

विषय :– विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जाती है:–

(1) यदि विदेश प्रवास 15 दिन से कम का हो और जिसका व्ययभार शासन पर निहित न हो, तब इस अवकाश स्वीकृति का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

(2) यदि विदेश प्रवास दो माह तक का हो तथा जिसका व्ययभार शासन पर निहित न हो, तब इस अवकाश स्वीकृति का अधिकार निदेशक (उच्च शिक्षा)/कुलपति को होगा। यह स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि माह दिसम्बर से मार्च तक, जब पठन–पाठन का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर होता है, ऐसी स्थिति में इसमें सामान्यतः स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(3) क्रमांक–01 एवं 02 के अतिरिक्त दो माह से अधिक अवधि के विदेश प्रवास के लिए हो, की अनुमति का प्रस्ताव पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) जहां व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाना हो, ऐसे प्रस्ताव भी पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किये जायेंगे।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या: 745 / मा0सं0वि0 / 2002–03 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कुल सचिव, गढ़वाल/कुमांऊ विश्वविद्यालय।
2– प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तरांचल।
3– गार्ड पत्रावली

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्याः 795 /उच्च शिक्षा/2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2002

विषय :—राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—डिग्री सेवा/2302/2002—2003 दिनांक 18 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को देश में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने का अधिकार निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रदान किया जाता है। परन्तु विदेश में सेवा हेतु आवेदन करने के लिए शासन की अनुमति पूर्वक्त ली जानी होगी।

2— अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

पासपोर्ट हेतु आवेदन पत्र

1 अधिकारी का नाम–

2. पिता का नाम–

3 विभाग का नाम–

4 प्रथम नियुक्ति तिथि

5 पदनाम तथा वेतनक्रम–

6 वर्तमान वेतन–

7 स्थायी/अस्थायी–

8 विदेश का नाम जहाँ जाना चाहते हैं–

9 विदेश जाने का कारण–

10 भारत से बाहर विदेश में रहने की अवधि–

11 विदेश में रहने का पता–

12 विदेश में रहने वाले उपरोक्त व्यक्तियों से सम्बन्ध–

13 क्या पूर्व मे कभी भारत से बाहर गये हैं–

14 अवकाश का प्रकार जो उपभोग करना चाहते हैं–

15 विदेश यात्रा का व्यय–

16 प्रस्तर–14 में उल्लिखित अवकाश क्या देय है ?

17 आवेदन की तिथि–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सम्बन्धित कर्मचारी के प्रति कोई पुलिस/विभागीय कार्यवाही/जॉच आदि का उल्लेख करते हुए निदेशक की संस्तुति–

निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)